

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 544 / 2019

- 1 मनोहरलाल वल्द रावताराम जाति जाट साकिन सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
- 2 रायसिंह }
3 रघुवीर सिंह } पि. मनोहरलाल जाति जाट साकिन सरदारपुरा
4 रविन्द्रकुमार } जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5 रमेशकुमार }
- 6 लालचन्द वल्द रायसिंह जाति जाट साकिन सरदारपुराज जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
- 7 नरेश कुमार वल्द रघुवीर जाति जाट साकिन सरदारपुराज जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
- 8 दिनेश पुत्र रविन्द्रकुमार, जाति जाट साकिन सरदारपुराज जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
- 9 कमला पत्नी रविन्द्रकुमार, जाति जाट साकिन सरदारपुराज जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
- 10 कुलदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति जाट साकिन सरदारपुराज जीवन, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-

- 1 श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता (वादीगण)
- 2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय

दिनांक :- 3.1.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत 88,53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से वाके चक 1 एसपीएम मे खाता संख्या 44/35 मे प.न. 33/194 मु.न. 8 का किला नं. 10,11,20,21/ 0.780 हैक्टैयर प.न. 32/194 मु.न. 9 मे किला नं. 11/1 मे 0.100 हैक्टैयर किला नं. 12 ता 25/ 3.186 हैक्टैयर प.न. 32/195 मु.न. 21 का किला नं. 2,3,4,5,6,7,8,9 किला नं. 12 ता 19, व 22 ता 25/ 5.060 हैक्टैयर व खाता संख्या 45/54 मे प.न. 31/197 मु.न. 46 का किला नं. 2/0.253 हैक्टैयर व चक 4 एसपीएम के खाता संख्या 49/47 मे प.न. 18/202 मु.न. 52 का कि.न. 20,21/0.506 हैक्टे. प.न. 17/200 मु.न. 38 का किला नं. 1,2,9,10,11,12/1. 518 हैक्टैयर कि.न. 13/1 में 0.126 हैक्टैयर किला नं. 18ता 23/1.518 हैक्टैयर कुल 3.162 हैक्टैयर प.न. 18/202 म.न. 52 का कि.न. 1 ता 4, 6 ता 13 18,19,22 ता 25 / 4.554 हैक्टैयर प.न. 17/203 मु.न. 54 का किला नं. 1 ता 25 / 6.325 हैक्टैयर रकबा , चक 4 एस पी एम खाता संख्या 33/31 मु. न. 35 कि.न .5 में 0.152 है. कि.न. 6,15,16,25 में 1.012 है., मु.न. 52 कि.न. 6 में 0.127 है. कुल 1.291 है. दर्ज कागजात पटवार माल है । वादीगण के नाम से वाके चक 1 एसपीएम के खाता संख्या 44/35 में 9.030 हैक्टैयर नहरी ब. हि.ब. व खाता संख्या 45/543 में 0.253 हैक्टैयर खाता संख्या 49/47 में 0. 506 हैक्टैयर व खाता संख्या 50/45 मे 14.041 हैक्टैयर रकबा दर्ज कागजात पटवार माल है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण का रकबा मुस्का खाता का होने के कारण वादीगण को बैंक लोन तथा अन्य सरकारी सुविधाएं लेने मे काफी दिरक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिये वादीगण को अपने कब्जा काश्त के रकबा का खाता अलग करवाना आवश्यक हो गया है । मद संख्या 4 में कब्जा काश्त दर्शायी गयी। वादीगण उपरोक्तानुसार रकबा पर तकरीबन 10 सालो से काबिज चले आ रहे है जिस बाबत आज तक किसी ने ऐतराज नहीं किया है । वगैरा-वगैरा।

अतः वाद वादीगण मय हलफनामा के दो प्रतियो मे पेश कर निवेदन है कि घोषणा की जावे कि :- वादी संख्या 1 मनोहरलाल चक 4 एसपीएम मे खाता संख्या 50 मु.न.54 का किला नं. 21 ता 25/ 1.265 हैक्टैयर व मु.न. 52 का कि.न.22/0.253 हैक्टैयर खाता संख्या 33 मु.न. 35 का किला नं. 5/ 0.063 हैक्टैयर खाता संख्या 50 मु.न. 38 का किला नं. 1,2 /0. 506 है. कि.न. 9 ता 12/1.012 हैक्टैयर कि.न. 13/1 मे 0.126 हैक्टैयर कि.न. 18 ता 23/ 1.518 हैक्टैयर खाता संख्या 33 मु.न. 52 का किला नं. 5/2 मे 0. 127 है. कुल 4.870 हैक्टैयर नहरी का खातेदार काश्तकार है । वादी संख्या 2 रायसिंह वल्द मनोहरलाल 3.011 हैक्टैयर व वादी संख्या 6 लालचन्द पुत्र रायसिंह 2.024 हैक्टैयर हिस्सा चक 1 एसपीएम मे खाता संख्या 44 मे मु.न. 21 का किला नं. 2 ता 4 / 0.759 हैक्टैयर कि.न. 5/1 मे 0.203 है. कि.न. 12 ता 19/ 2.024 हैक्टैयर कि.न. 6 ता 19/ 1.012 हैक्टैयर कि.न. 22 ता 25/ 1.012 हैक्टैयर खाता संख्या 44 कि.न. 15/ 0.025 कुल 3.011 हैक्टैयर नहरी कुल 5.035 हैक्टैयर नहरी रकबा का खातेदार काश्तकार है । वादी

रायसिंह रायसिंह (रायसिंह)


संख्या 3 रघुवीर सिंह वल्द मनोहरलाल 3.527 हैक्टेयर व वादी संख्या 7 नरेश कुमार पुत्र रघुवीर 1.518 हैक्टेयर नहरी चक 1 एसपीएम खाता संख्या 44/35 मे मे मु.न. 21 का किला नं. 5/2 मे 0.050 हैक्टे. मु.न. 9 का किला नं. 11/0.100 है. 12/0.100 है. कि.न. 13/0.114 है. कि.न. 14/0.152 है. कि.न. 15/0.165 है. कि.न.16 ता 25/ 2.530 हैक्टे. व मु.न. 8का किला नं. 10/0.076 है. 11/0.202 है. 20/0.2523 है. 21/0.253 है. चक 4 एसपीएम मु.न. 35 का कि.न. 5/0.038 है. 6/0.253 है. 15/0.253 है. 16/0.253 है. 25/0.253 है. कुल 5.045 है. नहरी रकबा के खातेदार काश्तकार है । वादी संख्या 4 रविन्द्रकुमार वल्द मनोहरलाल 1.771 हैक्टे. वादी संख्या 8 दिनेशकुमार वल्द रविन्द्रकुमार 1.518 है. वादिया संख्या 9 कमला देवी पत्नी रविन्द्रकुमार 1.518 हैक्टेयर चक 4 एसपीएम मे खाता संख्या 50 मु.न. 52 का कि.न. 1 ता 4/ 1.012 है. कि.न. 6 ता 13/ 2.024 है. कि.न. 18,19/ 0.506 है. कि.न. 23ता 25/ 0.759 हैक्टे. कुल 4.301 हैक्टेयर नहरी व चक 4एसपीएम मे खाता संख्या 49 मु.न. 52 का कि.न. 20 / 0.253 है. कि.न. 21/0.253 है. कुल 4.807 हैक्टेयर नहरी के खातेदार काश्तकार है । वादी संख्या 5 रमेशकुमार वल्द मनोहरलाल 3.012 है. वादी संख्या 10 कुलदीप कुमार वल्द रमेशकुमार 2.024 हैक्टेयर चक 4 एसपीएम मे खाता संख्या 50 मु.न. 54 का कि.न. 1 ता 20 / 5.060 हैक्टेयर नहरी रकबा के खातेदार काश्तकार है ।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जवाब स्टेट प्रतिवादी की ओर से पेश हुआ एव राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हुआ। तत्पश्चात वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी पी सी पेश कर खाता संख्या 33/31 की आराजी व खाता संख्या 46/36 की आराजी को हटाते हुये संशोधित वाद पत्र पेश करने की अनुमति चाही। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, संशोधित वाद पत्र पेश हुआ।

बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण ने चक 1 एस पी एम वचक 4 एस पी एम में अपने हक हिस्सानुसार स्वयं के नाम दर्ज आराजी का खाता तकसीम का अनूतोष चाहा है जो कि वादीगण वादाधीन आराजी के रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार है एव वादीगण के अलावा अन्य कोई काश्तकार वादाधीन खातों में नहीं है एव वादीगण ने अपने अपने हक हिस्सा की किला विशेष आराजी का खाता तकसीम किये जाने का अनूतोष चाहा है जो कि वादीगण ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है एव अपने दावा के समर्थन में साक्ष्य पेश की है। इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों, बहस से बखूबी साबित किया है, वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- वादी संख्या 1 मनोहरलाल को चक 4 एसपीएम मे खाता संख्या 50 मु.न.54 का किला नं. 21 ता 25/ 1.265 हैक्टेयर व मु.न. 52 का कि.न.22/0.253 हैक्टेयर खाता संख्या 33 मु.न. 35 का किला नं. 5/ 0.063 हैक्टेयर खाता संख्या 50 मु.न. 38 का किला नं. 1.2 /0.506 है. कि.न. 9 ता 12/1.012 हैक्टेयर कि.न. 13/1 मे 0.126 हैक्टेयर कि.न. 18 ता 23/ 1.518 हैक्टेयर खाता संख्या 33 मु.न. 52 का किला नं. 5/2 मे 0.127 है. कुल 4.870 हैक्टेयर नहरी आराजी का खातेदार


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

काश्तकार घोषित किया जाता है। चक 1 एसपीएम मे खाता संख्या 44 मे मु.न. 21 का किला नं. 2 ता 4 / 0.759 हैक्टैयर कि.न. 5/1 मे 0.203 है. कि.न. 12 ता 19/ 2.024 हैक्टैयर कि.न. 6 ता 19/ 1.012 हैक्टैयर कि.न. 22 ता 25/ 1.012 हैक्टैयर ,खाता संख्या 44 कि.न. 15/ 0.025 कुल दोनों खातों की 5.035 हैक्टैयर नहरी रकबा आराजी में वादी संख्या 2 रायसिंह वल्द मनोहरलाल को 3.011 हैक्टैयर व वादी संख्या 6 लालचन्द पुत्र रायसिंह को 2.024 हैक्टैयर आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चक 1 एसपीएम खाता संख्या 44/35 मे मु.न. 21 का किला नं. 5/2 मे 0.050 हैक्टे. मु.न. 9 का किला नं. 11/0.100 है. 12/0.100 है. कि.न. 13/0.114 है. कि.न. 14/0.152 है. कि.न. 15/0.165 है. कि.न.16 ता 25/ 2.530 हैक्टे. व मु.न. 8का किला नं. 10/0.076 है., 11/0.202 है., 20/0.2523 है.,21/0.253 है. चक 4 एस पी एम मु.न. 35 का कि.न. 5/0.038 है. 6/0.253 है. 15/0.253 है. 16/0.253 है. 25/0.253 है. कुल 5.045 है. नहरी रकबा में रघुवीर सिंह वल्द मनोहरलाल को 3.527 है. वादी संख्या 7 नरेश कुमार पुत्र रघुवीर को 1.518 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चक 4 एसपीएम मे खाता संख्या 50 मु.न. 52 का कि.न. 1 ता 4/ 1.012 है. कि.न. 6 ता 13/ 2.024 है. कि.न. 18,19/ 0.506 है. कि.न. 23ता 25/ 0.759 हैक्टे. कुल 4.301 हैक्टैयर नहरी व चक 4एसपीएम मे खाता संख्या 49 मु.न. 52 का कि.न. 20 / 0.253 है. कि.न. 21/0.253 है. कुल 4.807 हैक्टैयर नहरी आराजी में वादी संख्या 4 रविन्द्रकुमार वल्द मनोहरलाल को 1.771 है. वादी संख्या 8 दिनेशकुमार वल्द रविन्द्रकुमार को 1.518 है. वादिया संख्या 9 कमला देवी पत्नी रविन्द्रकुमार को 1.518 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चक 4 एसपीएम मे खाता संख्या 50 मु.न. 54 का कि.न. 1 ता 20 / 5.060 हैक्टैयर नहरी रकबा में वादी संख्या 5 रमेश कुमार वल्द मनोहरलाल को 3.036 है. वादी संख्या 10 कुलदीप कुमार वल्द रमेशकुमार 2.024 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

उक्तानुसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

—EAS/MS/MS
3.1.2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

